Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

<u>अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार</u>

स्वत्व वाद सं.359/12

बासुदेव यादव एवम अन्य बनाम जगदेव यादव एवम अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
07/02/24	वादी एवम प्रतिवादी स.1 से 2 f की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है।शेष प्रतिवादी की कोई पैरवी नही है	यह वाद प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दो आवेदन दिनांक 25/05/22 एवम 03/08/22 पर सुनवाई हेतु एवम आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है	उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादी सं.2aसे 2 f के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है की प्रतिस्थापित प्रतिवादी स.2 a से 2 f के द्वारा प्रतिवादी सं.2 के लिखित कथन को स्वीकृत किए जाने हेतु आवेदन दिया गया है जिसे स्वीकृत किए जाने की कृपा की जाय	आगे समर्पित किया गया है की प्रतिवादी के द्वारा आ.22 नि.3 दिवानी प्रक्रिया संहिता के आवेदन को not press किया गया है | वादी के द्वारा उक्त आवेदन का विरोध करते हुए समर्पित किया गया है की प्रतिवादी सं.2 के द्वारा किया गया प्रतिदावा उनके विधिक वारिसान के द्वारा नही ग्रहण किया जा सकता क्योकि अनु.120 के अन्तर्गत विलम्ब होने से उपशमन हो गया है जिस कारण से प्रतिस्थापित प्रतिवादी का आवेदन खारिज किए जाने योग्य है | उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया| अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद मे प्रतिवादी सं.2 a से 2 f दिनांक 16/03/21 को प्रतिस्थापित हुए हैं जिससे स्पष्ट है उक्त प्रतिवादी के विरुद्ध वाद उपशमित नही हुआ है एवम प्रतिवादी सं.2 के विधिक वारिसान को अपनी हैसियत के लिए समुचित प्रतिरक्षा करने के लिए हकदार है |अत : प्रतिवादी स.2 a से 2 f के आवेदन को स्वीकृत कर अनुमति प्रदान की जाती है एवम आ.22 नि.3 दिवानी प्रक्रिया संहिता के आवेदन को not press किए जाने के कारण खारिज किया जाता है | लेखापित- असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी	
पुनश्च 07/02/24	वादी की ओर से साक्षी की हाजिरी है	पुकार पर वादी एवम प्रतिवादी सं.2 a से 2 f के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए |वादी के द्वारा अपने पुर्व के आवेदन दिनांक 25/05/22 को संचालित कर सर्वप्रथम अन्य साक्षी का साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने का निवेदन किया गया | प्रतिवादी द्वारा उक्त आवेदन का विरोध किया गया | उभय पक्ष को सुना	न्यायहित मे वादी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है |वादी सा.क्र.1 रास मोहन झा को मुख्य एवम प्रति परीक्षण कर मुक्त किया गया |परीक्षण के क्रम मे लगाने रसीद क्र.107001 एवम 3292766 को क्रमशः प्रदर्श 1 एवम 1/a अंकित किया गया है	वाद दिनांक 13/03/24 वास्ते वादी साक्ष्य नियत | लेखापित- असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी	